न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 63/2023

1. महावीर पुत्र माधु जाति जाट निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. बद्री पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
3. उंकार पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
4. मोती पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
5. रमेश पुत्र माधु जाति जाट निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
6. सांवरा पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी निमेड़ा तहसील भिनाय, जिला अजमेर

बनाम

1. काना पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. नाना पुत्र सुरजमल जाति दरोगा निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
3. रामस्वरूप पुत्र हजारी जाति दरोगा निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
4. अलोली पत्नि रामदेव जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
5. सीतादेवी पत्नि सांवरा जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
6. कानाराम पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
7. छोटू पुत्र माधू जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
8. दुर्गा पुत्री सांवरा जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
9. रामदयाल पुत्र सांवरा जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
10. लेखराज पुत्र सांवरा जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
11. विनोद पुत्र सांवरा जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
12. शीला पुत्री सांवरा जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
13. सुमन पुत्री सांवरा जाति जाट निवासी निमेड़ा(काला का निमेड़ा) तहसील भिनाय, जिला अजमेर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री राहुल आचार्य प्रार्थी अधिवक्ता
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 26.03.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम नीमेड़ा पटवार हल्का कनेईखुर्द, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकंला तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 400 रकबा 0.30 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु ग्राम नीमेड़ा पटवार हल्का कनेईखुर्द, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकंला के सिवायचक भूमि खसरा नं. 409/1915 और ग्राम नीमेड़ा पटवार हल्का कनेईखुर्द, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकंला स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

की खातेदारी खसरा संख्या 363, अप्रार्थीगण संख्या 02 की खातेदारी खसरा संख्या 406, अप्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी खसरा संख्या 389 तथा अप्रार्थीगण संख्या 04 लगायत 13 की खातेदारी खसरा संख्या 404 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण सं. 1 लगाायत 13 को प्रकरण में नोटिस प्रेषित कर जवाब तथा अप्रार्थी संख्या 14 सरकार जरिये तहसीलदार से जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 13 के विरूद्ध जारी नोटिस नियमानुसार तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक भूमि खसरा नं. 409/1915 और अप्रार्थीगण संख्या 01 की खातेदारी खसरा संख्या 363, अप्रार्थीगण संख्या 02 की खातेदारी खसरा संख्या 406, अप्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी खसरा संख्या 389 तथा अप्रार्थीगण संख्या 04 लगायत 13 की खातेदारी खसरा संख्या 404 में से प्रार्थी को रास्ता देने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। प्रकरण में जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश होने पर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 नियत की गई।

पत्रावली में बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, अपनी आराजी खसरा संख्या तक रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें, सिवायचक भूमि खसरा नं. 409/1915 और अप्रार्थीगण संख्या 01 की खातेदारी खसरा संख्या 363, अप्रार्थीगण संख्या 02 की खातेदारी खसरा संख्या 406, अप्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी खसरा संख्या 389 तथा अप्रार्थीगण संख्या 04 लगायत 13 की खातेदारी खसरा संख्या 404 में से प्रार्थी को रास्ता देने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रार्थी ने भी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात पैरोंकार सरकार द्वारा स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CS CamScanner

किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 400 रकबा 0.30 है0 में जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 363, 409/1915, 406, 389 और 404 में से होकर ही जाता है। साथ ही पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस बताया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग अत्यत्न आवश्यक तथा निकटतम दुरी का मार्ग है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 का अवलोकन किया गया, बहस पत्रावली पर मनन किया गया। तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है। साथ ही पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस बताया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग अत्यत्न आवश्यक तथा निकटतम दुरी का मार्ग है। जो तहसीलदार भिनाय से प्राप्त जवाब मय मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। अतः बाद अवलोकन तथा मनन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए अनुतोष होने से स्वीकार किया जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दुगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा ग्राम नीमेड़ा की सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 291752/– रू. तथा असिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 168569/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। अतः ग्राम नीमेड़ा स्थित सिवायचक खसरा नं. 409/1915 में से 293 वर्ग मीटर (64 मीटर लम्बा व 4.578 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 29.18 रू प्रति वर्ग मीटर राशि **17100**/– रू. मुकर्रर की जाती है। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरा नं. 363 में से 222 वर्ग मीटर (48 मीटर लम्बा व 4.625 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 29.18 रू प्रति वर्ग मीटर राशि **12656**/– रू. मुकर्रर की जाती है। अप्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी खसरा नं. 406 में से 247 वर्गमीटर (54 मीटर लम्बा व 4.574 मीटर चौडा)भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 16.86 रू. प्रति वर्ग मीटर राशि **8330**/– रू. मुकर्रर की जाती हैं। अप्रार्थी संख्या 03 के खातेदारी खसरा नं. 389 में से 211 वर्गमीटर (46 मीटर लम्बा व 4.586 मीटर चौडा)भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 29.18 रू. प्रति वर्ग मीटर राशि **12314**/– रू. मुकर्रर की जाती हैं। अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 13 के खातेदारी खसरा नं. 404 में से 366 वर्गमीटर (80 मीटर लम्बा व 4.575 मीटर चौडा)भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 29.18 रू. प्रति वर्ग मीटर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

राशि 21360/— रू. मुकर्रर की जाती हैं। तहसीलदार भिनाय नियमानुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 13 खातेदारों को मुकर्रर राशि का भुगतान जरिये प्रार्थीगण करावे। ग्राम नीमेड़ा पटवार हल्का कनेईखुर्द, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकंला तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 409/1915 में से 293 वर्ग मीटर तथा ग्राम नीमेड़ा पटवार हल्का कनेईखुर्द, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनेईकंला स्थित खातेदारी खसरा नं. 363 में से 222 वर्ग मीटर, खातेदारी खसरा नं. 406 में से 247 वर्गमीटर भूमि से, खातेदारी खसरा नं. 389 में से 211 वर्ग मीटर, खातेदारी खसरा नं. 404 में से 366 वर्गमीटर भूमि से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 400 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में आदेश में वर्णित रास्ते की नियमानुसार तरमीम कर इस खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner